



2026:AHC: 180370

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 5313 वर्ष 2026

श्रीमती मनीषा

.....पुनरीक्षणकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....विपक्षी(गण)

पुनरीक्षणकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: दीपक सिंह, जितेंद्र सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 86

माननीय न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि

1. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री जितेंद्र सिंह का तर्क है कि उन्होंने वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण उस अनुतोष के साथ प्रस्तुत किया है, जिसका उल्लेख पुनरीक्षण के प्रार्थना खंड में किया गया है।

2. प्रार्थना खंड में उल्लिखित अनुतोष नीचे वर्णित है:-

"इसलिए, अत्यंत सम्मानपूर्वक यह प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय कृपापूर्वक इस आपराधिक पुनरीक्षण को स्वीकार करे और पुनरीक्षणकर्ता को 8,000/- रुपये के स्थान पर 25,000/- रुपये प्रति माह की अंतरिम भरण-पोषण राशि बढ़ाकर प्रदान करे, अन्यथा, पुनरीक्षणकर्ता को अपूरणीय क्षति और हानि होगी।"

3. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का अभिवेदन है कि आदेश दिनांक 28.07.2026 के माध्यम से, विचारण न्यायालय ने पत्नी को केवल 8,000/- रुपये प्रति माह का अंतरिम भरण-पोषण प्रदान किया है और कार्यवाहियों के खर्च के लिए कोई राशि प्रदान नहीं की गई है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि विपक्षी संख्या 2-पति, भारतीय सेना में कार्यरत है और उसे 78,581/-

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



रुपये प्रति माह का वेतन मिल रहा है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **कल्याण डे चौधरी बनाम रीता डे चौधरी नी नंदी; 2017 14 एससीसी 200** के निर्णय में यह टिप्पणी किया है कि पति के वेतन का 25% भरण-पोषण के लिए न्यायोचित और उचित होगा।

4. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि प्रदान किया गया अंतरिम भरण-पोषण पति की आय के स्रोत, साथ ही **कल्याण डे चौधरी** (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुरूप नहीं है, इसलिए, आदेश दिनांक 28.07.2026 को या तो अपास्त किया जाए या संशोधित किया जाए।

5. राज्य के विद्वान अधिवक्ता, श्री जयकिशन चौरसिया ने न्यायालय की सहायता किया और प्रस्तुत किया कि मामले में पक्षकारों द्वारा अभी साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना शेष है, इसलिए, मामले का अंतिम रूप से न्यायनिर्णयन करते समय, विचारण न्यायालय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि का अनुपालन करने का निर्देश दिया जा सकता है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत अभिवेदनों पर विचार करने और अभिलेख के परिशीलन पर, यह प्रतीत होता है कि आक्षेपित आदेश दिनांक 28.07.2026 के माध्यम से, विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मेरठ ने पुनरीक्षणकर्ता को आवेदन की तिथि से विपक्षी संख्या 2 पत्नी को 8,000/- रुपये प्रति माह के अंतरिम भरण-पोषण का भुगतान करने का निर्देश दिया है और द.प्र.सं. की धारा 125 और बी.एन.एस.एस. की धारा 144 के अंतर्गत दाखिल आवेदन अभी लंबित है।

7. वाद के पूर्वोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के दृष्टिगत, यह न्यायालय आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं पाता है, इसलिए, इस स्तर पर, आक्षेपित अंतरिम भरण-पोषण आदेश दिनांक 28.07.2026 में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह भी स्पष्ट है कि मामले में केवल एक अंतरिम भरण-पोषण आदेश पारित किया गया है और पक्षकारों को विचारण न्यायालय के समक्ष अपने-अपने मामलों के समर्थन में अपने साक्ष्य प्रस्तुत करना अभी शेष है, तत्पश्चात द.प्र.सं. की धारा 125 और बी.एन.एस.एस. की धारा 144 के अंतर्गत दाखिल आवेदन को अंतिम रूप से न्यायनिर्णीत किया जाएगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. संबंधित परिवार न्यायालय को द.प्र.सं. की धारा 125 और बी.एन.एस.एस. की धारा 144 के अंतर्गत दाखिल लंबित आवेदन को स्वतंत्र रूप से, विधि के अनुसार और अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर, इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना, दोनों पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात और कोई अनावश्यक स्थगन प्रदान किए बिना, अधिमानतः छह माह की अवधि के भीतर निर्णीत करने का निर्देश दिया जाता है।

9. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, पुनरीक्षण निस्तारित किया जाता है।

31 अगस्त, 2026

के. तिवारी

(न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”